“ स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे.”

टोल फ्री नं.: 1800 11 2526, चिकित्सा हेल्पलाइन नं.: **1800 11 3839**

www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in

www.facebook.com/esichq @esichq

क.रा.बी.नि.
E S I C

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation

स्वास्थ्य पासबुक HEALTH PASSBOOK

ईएसआई लाभार्थी के लिए
FOR ESI BENEFICIARY

Toll Free No.
1800-11-2526

Medical Helpline No.
1800-11-3839

www.esic.nic.in,
www.esic.in
www.esichospitals.gov.in

www.facebook.com/esichq @esichq

ईएसआई योजना के अंतर्गत मिलने वाले हितलाभ

चिकित्सा हितलाभ: हम आपकी सभी चिकित्सा जरूरतों का ध्यान रखते हैं।
ईएसआईसी बीमा योग्य रोजगार में शामिल होने की तिथि से स्वयं एवं परिवार के लिए उचित चिकित्सा देखरेख प्रदान करता है।

बीमारी हितलाभ: बीमारी के कारण अवकाश का मतलब आय अर्जन समाप्त होना नहीं है।
ईएसआईसी दो निरंतर हितलाभ अवधियों में 91 दिनों तक चिकित्सा छुट्टी के दौरान औसत दैनिक वेतन का 70 प्रतिशत नकद भुगतान करता है।

मातृत्व हितलाभ: हमारे हितलाभों के साथ आपके नवजात शिशु का स्वागत है।
ईएसआईसी मातृत्व छुट्टी के दौरान प्रसूति में 26 सप्ताह तक एवं गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक तथा कमीशनिंग माँ तथा दत्तक माँ को 12 सप्ताह तक औसत दैनिक वेतन का 100 प्रतिशत नकद भुगतान करता है।

नि:शक्तता हितलाभ: नि:शक्तता का मतलब आय अर्जन से अक्षमता नहीं है।
ईएसआईसी अस्थायी नि:शक्तता के मामले में चोट ठीक होने तक और स्थायी नि:शक्तता के मामले में जीवन भर निरंतर मासिक पेंशन का भुगतान करता है।

आश्रितजन हितलाभ: जो आप पर निर्भर हैं वह हम पर भी निर्भर हैं।
ईएसआईसी रोजगार के दौरान चोट के कारण मृत्यु के मामले में आश्रितजनों के बीच नियत अनुपात में मासिक पेंशन का भुगतान करता है।

बेरोजगारी भत्ता: रोजगार छूटने का मतलब आय की हानि नहीं है।
ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक हानि या गैर–रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में अधिकतम 24 माह की अवधि के लिए मासिक नकद भत्ता प्रदान करता है।

वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल: वृद्धावस्था के बाद भी स्वस्थ जीवन का आनंद उठाएं
ईएसआईसी अपने ईएसआई अस्पतालों तथा औषधालयों में सेवानिवृत्त / सेवा पूरी कर चुके बीमाकृत व्यक्तियों के लिए चिकित्सा हितलाभ प्रदान करता है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण: नि:शक्तता का मतलब सम्पूर्ण कौशल की हानि नहीं है।
ईएसआईसी, रोजगार के दौरान चोट लगने से हुई नि:शक्तता के मामले में वसूला गया वास्तविक शुल्क या ₹123 / – प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करता है।

शारीरिक पुनर्वास: रोजगार के दौरान चोट लगने का अर्थ दैनिक आजीविका की हानि नहीं
रोजगार के दौरान चोट लगने के कारण शारीरिक नि:शक्तता के मामले में बीमाकृत व्यक्ति जब तक कृत्रिम अंग केन्द्र में भर्ती रहता है, उसे ईएसआईसी अस्थायी नि:शक्तता हितलाभ की दर से भुगतान करता है।

अन्य हितलाभ:

प्रसूति व्यय: जहां क.रा.बी. चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां ईएसआईसी दो मामलों तक ₹5000/- प्रति मामले की दर से भुगतान करता है।

अंत्येष्टि व्यय: ईएसआईसी मृतक बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि के लिए मूल व्यय या अधिकतम ₹10,000/- का नकद भुगतान करता है।